कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 1088 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 07 सितम्बर, 2021 ।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट(पिथौरागढ़)।

विषय :– **वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य (0.94 हे0) ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/66802/2020 के संबंध में।**

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 1029/13सी0 दिनांक 09.06.2021।

महोदय,

विषयक कम में प्रस्ताव के अवलोकन उपरान्त पायी गई कमियों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. उक्त प्रस्ताव में प्रभावित सिविल भूमि 0.94 हे0 दर्शोयी गयी है, जबकि प्रस्ताव की हार्ड कापी में संलग्न प्रपत्र (9) में चयनित समरेखण/वैकल्पिक समरेखण के तुलनात्मक विवरण में प्रभावित सिविल भूमि 0.965 हे0 अंकित की गई है, जो कि विरोधाभाषी है।
2. उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मलबा निस्तारण हेतु 0.4 हे0 सिविल भूमि ली गई है एवं आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न मक डिस्पोजल प्लान में 04 मक डम्पिंग जोन दिखाये गये है, जबकि संबंधित प्रस्ताव में संलग्न जियो–रेफेरेंस मैप में 03 मक डम्पिंग जोन ही अंकित किये गये है। जियो–रेफेरेंस मैप में 04 मक डम्पिंग जोन दर्शोते हुये सुधार करना आवश्यक है।
3. संबंधित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आपके द्वारा प्रस्तुत मक डिस्पोजल प्लान में डम्पिंग यार्ड की क्षमता एवं उत्सर्जित मलवे का आंकलन त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया है। संशोधित मक डिस्पोजल प्लान तैयार किया जना आवश्यक है।
4. प्रस्ताव में संलग्न वन अधिकार अधिनियम प्रपत्र सं0 1.6(I) में Other than Linear Project हेतु प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। Linear Project हेतु प्रमाण तैयार किया जाना आवश्यक है।

वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 415/12–1(2) दिनांक 28.07.2021 के अनुपालन में उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर आवश्यक संलग्नकों में नाम, पदनाम, एवं दिंनाक सहित हस्ताक्षर युक्त चार प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।